Email + Upload

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र

क्रमांक प 9 (4) (3) जजा/छात्र /सा.न्या.अ.वि./2014–15/ 40414-47 जयपुर, दिनांक 4-8-14

उप निदेशक/सहायक निदेशक/
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
(समस्त).....................................

विषय :– अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 का आयोजना मद में अतिरिक्त बजट आवंटन।

उपरोक्त विषय में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को वर्ष 2010–11 व 2011–12, 2012–13 की बकाया एवं वर्ष 2013–14 हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की नियमानुसार स्वीकृत किये जाने हेतु आयोजना मद में सलंग्न परिशिष्ट "क" के कॉलम संख्या 5 के अनुसार राशि रूपये 4015.00 लाख (अक्षरे चालीस करोड़ पन्द्रह लाख रूपये मात्र) का अतिरिक्त बजट आवंटन कर भिजवाया जा रहा है। उक्त उल्लेखित वित्तीय वर्षो से पूर्व, के वर्षो की बकाया छात्रवृत्ति इस आवंटित बजट में से स्वीकृत नहीं की जावे ।

छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें :–

1. वार्षिक आय के प्रमाणीकरण के लिए वर्ष 2013–14 से विभागीय पत्र क्रमांक एफ 9 (4)( ) /छात्र/आवेदन/सान्याअवि./2011/63202–493 दिनांक 21.08.2013 द्वारा जारी एक पृष्ठीय आय का उद्घोषणा/शपथ पत्र मान्य किया गया तथा उक्त आय उद्घोषणा/शपथ पत्र के साथ–साथ पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या प.13(34)राज/ग्रुप–1/2012 दिनांक 09.08.2012 द्वारा जारी आय उद्घोषणा/शपथ पत्र भी मान्य होगा। आवेदक के माता –पिता/संरक्षक राज्य/केन्द्र सरकार की सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र व गत वर्ष के फॉर्म नं. 16 मान्य होगा।
2. गत वर्षो की बकाया (वर्ष 2010–11 व 2012–13) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम किया जावे।
3. मान्यता प्राप्त डीम्ड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के अनुक्रम में विभागीय पत्र कमांक एफ.9(4)(58)छा/सान्याअवि/89–90/29113–145 दिनांक 01.04.11 की पालना सुनिश्चित करें।
4. निजी शिक्षण संस्थाओ तथा राज्य से बाहर अध्ययनरत विद्यार्थियो की छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने से पूर्व मान्यता एवं सम्बद्धता की पूर्ण जॉच करली जावे।
5. सभी पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृति का भुगतान संबंधित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते के माध्यम से किया जावे।
6. छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशो एवं भारत सरकार द्वारा जारी उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति नियमों के परिपेक्ष्य में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता यथा निजी शिक्षण संस्थाओं के भौतिक सत्यापन, आय,जाति, अन्य कोई छात्रवृत्ति नही लिये जाने, दोहरा भुगतान नही होने इत्यादि की जॉच कर संतुष्टि उपरान्त ही

छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाये। अनियमित/गलत स्वीकृति जारी किये जाने की स्थिति में स्वीकृतकर्ता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे, एवं वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी करने से पूर्व विभाग द्वारा जारी किये निर्देश कमांक एफ. 9(4)/आ.प./छात्र./सान्याअवि/09/41368–602 दिनांक 04.08.09 की पालना सुनिश्चित करें।

7. बजट आंवटन की सीमा में व्यय किया जावें एवं प्रत्येक आहरण–वितरण अधिकारी व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र जी.ए. 19 में प्रतिमाह की 5 तारीख तक आवश्यक रूप से भिजवाये।

छात्रवृत्ति स्वीकृत करते समय महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर एवं विभागीय जांच दल द्वारा अंकित किए गए आक्षेपों को ध्यान में अवश्य रखें। सूचना भेजते समय हस्ताक्षर के नीचे कृपया अपना नाम और टेलीफोन नम्बर, ई–मेल आईडी अवश्य अंकित करें, ताकि पत्र व्यवहार एवं कार्यवाही में सुगमता रहे।

यदि आवंटित में कोई बचत रहती है तो विभागीय आईएफएमएस आईडी कोड 6341 पर ऑनलाईन समर्पित करें। बजट आवंटन की प्रति विभागीय वेबसाईट **www.sje.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है। साथ ही अनुरोध है कि पूर्व एवं इस आवंटित बजट के आधिक्य व्यय/बचत तथा लाभान्वित छात्र–छात्राओं की पृथक पृथक सूचना दिनांक 15.03.2015 तक आवश्यक रुप से भिजवाये अन्यथा आवंटित बजट को पूर्ण व्यय मान लिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

सलंग्न : परिशिष्ट "क"

(नवीन महाजन)

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक प 9 (4) (3) जजा /छात्र /सा.न्या.अ.वि./2014–15/ 40448-86 जयपुर, दिनांक 4/8/2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, ...
3. वितीय सलाहकार./परियोजना निदेशक (एस.सी.पी.)/उप निदेशक (योजना), मुख्यावास।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को बजट ऑनलाईन करने एवं विभागीय वेबसाईट पर डलवाने हेतु
5. लेखाकार (बजट)/अंक मिलान, मुख्यावास।

4/8/2014

(डॉ. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अ.जा.ज.जा. कल्याण)

40414-47
4-8-2014

परिशिष्ट 'क'

वर्ष 2014-15 का राज्य आयोजना मद मे अनुसूचित जन जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन

बजट मद		
मांग संख्या-30		
2225- अनु. जातियों/ अनु. जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण		
02- अनुसूचित जन जातियों का कल्याण		
796- जन जातीय क्षेत्र उपयोजना		
(06)- निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से.		
[01]-छात्रवृत्ति		
13- छात्रवृत्ति और वजीफा (राज्य आयोजना मद)		

(राशि लाखो में)

क.सं.	आहरण एवं वितरण अधिकारी	ID कोड	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1. अजमेर	उप निदेशक, सान्याअवि, अजमेर	10849	60.00	50.00	110.00
2. अलवर	सहायक निदेशक, सान्याअवि, अलवर	2506	200.00	500.00	700.00
3. बांसवाड़ा	सहायक निदेशक, सान्याअवि, बांसवाड़ा	23944	200.00	350.00	550.00
4. बांरा	उप निदेशक, सान्याअवि, बांरा	5037	50.00	80.00	130.00
5. बाड़मेर	सहायक निदेशक, सान्याअवि, बाड़मेर	15589	5.00	5.00	10.00
6. भरतपुर	उप निदेशक, सान्याअवि, भरतपुर	12632	30.00	80.00	110.00
7. भीलवाड़ा	उप निदेशक, सान्याअवि, भीलवाड़ा	23948	30.00	50.00	80.00
8. बीकानेर	उप निदेशक, सान्याअवि, बीकानेर	12580	30.00	20.00	50.00
9. बूंदी	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअवि, बूंदी	23731	50.00	50.00	100.00
10. चित्तौड़गढ	सहायक निदेशक, सान्याअवि, चित्तौड़गढ	23949	60.00	50.00	110.00
11. चुरू	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअवि, चुरू	14964	85.00	30.00	115.00
12 दौसा	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि, दौसा	6478	200.00	400.00	600.00
13. धौलपुर	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि, धौलपुर	23933	60.00	50.00	110.00
14. डूंगरपुर	सहायक निदेशक सान्याअवि, डूंगरपुर	23951	80.00	200.00	280.00
15. श्रीगंगानगर	सहायक निदेशक सान्याअवि, श्रीगंगानगर	6055	50.00	30.00	80.00
16. जयपुर	1 उप निदेशक, सान्याअवि, जयपुर शहर	10856	485.00	200.00	685.00
	2 उप निदेशक, सान्याअवि, जयपुर ग्रामीण	25131	400.00	200.00	600.00
17. जैसलमेर	सहायक निदेशक, सान्याअवि, जैसलमेर	2503	5.00	5.00	10.00
18. जालौर	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअवि, जालौर	17182	10.00	10.00	20.00
19. झुन्झुनू	सहायक निदेशक, सान्याअवि, झुन्झुनू	2278	70.00	100.00	170.00
20. जोधपुर	उप निदेशक, सान्याअवि, जोधपुर	7171	80.00	100.00	180.00
21. कोटा	उप निदेशक, सान्याअवि, कोटा	10685	200.00	300.00	500.00
22. नागौर	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअवि, नागौर	9986	20.00	30.00	50.00
23. पाली	सहायक निदेशक, सान्याअवि, पाली	13260	40.00	50.00	90.00
24. राजसमद	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअवि, राजसमद	8835	40.00	50.00	90.00
25. सवाई माधोपुर	सहायक निदेशक, सान्याअवि, सवाई माधोपुर	3325	80.00	50.00	130.00
26. सीकर	सहायक निदेशक, सान्याअवि, सीकर	11513	80.00	100.00	180.00
27. सिरोही	सहायक निदेशक, सान्याअवि, सिरोही	12203	50.00	30.00	80.00
28. टोंक	सहायक निदेशक, सान्याअवि, टोंक	5930	80.00	100.00	180.00

29. उदयपुर					
	उप निदेशक, सान्याअवि, उदयपुर	12097	100.00	400.00	500.00
30. करौली					
	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअवि, करौली	4174	200.00	200.00	400.00
31. झालावाड़					
	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअवि, झालावाड़	13576	80.00	100.00	180.00
32. हनुमानगढ़					
	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअवि, हनुमानगढ़	17262	50.00	25.00	75.00
33. प्रतापगढ़					
	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअवि, प्रतापगढ़	18517	40.00	20.00	60.00
	महायोग:-		3300.00	4015.00	7315.00

अक्षरे रु० चालीस करोड़ पन्द्रह लाख मात्र

आयुक्त